

प्रपत्र-8

नायब उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चितौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राशमी

आदेश :-

गाँव के 'खाता दुकस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पत्तवारी राशमी
व भू.अ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी /नायब
तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 133 के अनुसरण में ग्राम राशमी तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 500 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
4.	राशमी	500	कालु राम कि भू.अ.नि.	कालु राम कि भू.अ.नि.

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राशमी

क्रमांक-
प्रतिलिपि :-

240/21

दिनांक :- 25/10/2021

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,
राशमी

